अपील / एलआर / 2420 / 2019 / श्रीगंगानगर
अपील / एलआर / 8551 / 2006 / श्रीगंगानगर
श्रीमती छिन्दकौर बनाम सरबजीतसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
19–2–2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अमृतपालसिंह वानर, अभिभाषक अपीलांट । श्री आर.एस.बराड, अभिभाषक रेस्पोडेंट। **निर्णय** 1. हस्तगत् दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–9–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। चूंकि दोनों अपीलों में विवादित आराजी, विवाद बिन्दु एवं पक्षकारान समान है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उक्त दोनों प्रकरणों का निस्तारण अपने एक ही निर्णय द्वारा किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। 2. अपील ज्ञापन के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी, जोकि रेस्पोडेंट को आवंटित हुई थी, को निरस्त कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 / 14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 उपनिवेशन आयुक्त (इंदिरा गांधी नहर परियोजना) बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया। जो बाद जांच उपखंड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष प्रस्तुत हुआ। उपखंड अधिकारी अनूपगढ ने जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 16–7–02 के संदर्भ में जारी पत्र दिनांक 22–7–02 के अनुसरण में रेस्पोडेंट को किया गया आवंटन अपने आदेश दिनांक 5–8–02 से खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 14–9–06 द्वारा दोनों अपीले स्वीकार कर रेस्पोडेंट का आवंटन यथावत रखा। जिससे व्यथित होकर ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि मृतक गुरबचनसिंह आवंटन कराने का पात्र नहीं था क्योंकि वह पूर्व में आर्मी में सर्विस करता था और पंजाब का निवासी था। इस सम्बंध में अपीलार्थी द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत वोटर लिस्टे पेश की थी जिसमें वह राजस्थान का निवासी न होकर पंजाब का निवासी था। राजस्थान में आवंटन के लिये राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य शर्त है। जब आवंटी राजस्थान का ही निवासी नहीं था तो उसको किया गया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	आवंटन नियम विरूद्ध था। गुरबचनसिंह न तो भूमिहीन था और न आवंटन कराने का पात्र था। आवंटी के विरूद्ध अपीलार्थी ने शिकायत दर्ज कराई तथा बाद विस्तृत जांच उसका आवंटन निरस्त किया गया। किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये उपखंड अधिकारी का निर्णय निरस्त कर आवंटी का आवंटन विधि विरूद्ध बहाल रखा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर का निर्णय निरस्त कर रेस्पोडेंट गुरबचनसिंह का आवंटन निरस्त किया जावे। 4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स का कथन है कि चक 79 जीबी के मुरब्बा नंबर 57 की 25 बीघा भूमि मृतक गुरबचन सिंह को वर्ष 1971 में तहसीलदार अनूपगढ द्वारा बाद जांच आराजी काश्त पर आवंटित की गई थी। उक्त भूमि को पुख्ता आवंटन कराने का प्रार्थना पत्र गुरबचनसिंह ने उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश किया। उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर ने मुरब्बा नंबर 57 के किला नंबर 1 से 13 की 12.10 बीघा भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 17–7–86 से किया गया। शेष भूमि के सम्बंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। जिसके विरूद्ध गुरबचनसिंह ने राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने आदेश दिनांक 22–4–98 को स्वीकार की जाकर उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मु0 नं0 57 के 12.10 बीघा भूमि के आवंटन की कार्यवाहीं की जाकर आवंटन किया जावे। अपीलीय न्यायालय के आदेश की पालना में दिनांक 15–9–2000 से शेष 12.10 बीघा भूमि का आवंटन गुरबचनसिंह को किया गया। जिसके विरूद्ध दर्शनसिंह जो कि वर्तमान अपीलार्थी के पति / पिता है, ने आयुक्त उपनिवेशन इ0गा0न0प0 बीकानेर के समक्ष शिकायत की जिस पर रेस्पोडेंट को सुने बिना उसका आवंटन निरस्त कर दिया। गुरबचनसिंह राजस्थान का मूल निवासी है। मृतक गुरबचनसिंह भारतीय वायु सेना में सेवारत रहा है जिसके सेवा अभिलेख में स्थाई पता चक 9 पीएस तहसील रायसिंहनगर अंकित है, जो कि आवंटन से बहुत पहले 1943 का है। मृतक गुरबचनसिंह का आवंटन विधिवत तौर से भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। आवंटन के पश्चात् से विवादित आराजी पर आवंटी काबिज काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेंट आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की कोई अवहेलना नहीं की है। भूमि आवंटन की पात्रता रखने की स्थिति में ही उसे आवंटन किया गया है। उपखंड अधिकारी अनूपगढ ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये रेस्पोडेंट का विधिवत आवंटन निरस्त करने में त्रुटि की है। अपीलीय न्यायालय ने प्रस्तुत रिकोर्ड एवं रिपोर्ट का सहीं विश्लेषण व विवेचन कर रेस्पोडेंट की अपील स्वीकार की है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मृतक गुरबचनसिंह को किया गया आवंटन अपीलार्थी के पति/पिता की शिकायत पर उपखंड अधिकारी अनूपगढ ने निर्णय दिनांक 5–8–02 से निरस्त कर दिया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकार किये जाने के विरूद्ध ये दोनों अपीलें मंडल में प्रस्तुत की गई है। गुरबचनसिंह को चक 79 जीबी के मुरब्बा नंबर 57 की 25 बीघा भूमि वर्ष 1971 से आराजी काश्त पर चली आने के आधार पर दिनांक 17–7–86 को उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा 12.10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आदेश में यह स्पष्ट अंकित है कि जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 15–2–72 को गुरबचनसिंह को राजस्थान का मूल निवासी माना गया है तथा उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर ने भी गुरबचनसिंह को राजस्थान का मूल निवासी मानते हुये आवंटन सलाहकार समिति की राय से विवादित आराजी का आवंटन किया है। गुरबचनसिंह भारतीय वायु सेना में दिनांक 30–8–43 से 15–10–67 तक कार्यरत रहे, जिसके सेवा अभिलेख में निवास स्थान चक 9 पीएस तहसील रायसिंहनगर अंकित किया हुआ है। उक्त तथ्यों का खंडन अपीलार्थी द्वारा किसी न्यायालय में नहीं किया गया। राजस्थान उप.गंगनहर स्थाई भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1956 के नियत 3(7) में भूमि आवंटन के पात्र व्यक्तियों में सैनिको के लिये यह विशेष प्रावधान दिया है कि अगर उनका घर राजस्थान में स्थित है तो भूमि आवंटनन के लिये पात्र होंगे। गुरबचनसिंह को राजस्थान का मूल निवासी होने के आधार पर ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण जांच कर विवादित आराजी का आवंटन किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर ने भी शेष भूमि का आवंटन किये जाने का आदेश दिनांक 22–4–98 को दिया जिसके आधार पर दिनांक 15–9–2000 से शेष 12.10 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेंट को किया गया। उक्त आवंटन को किसी व्यक्ति द्वारा आज दिनांक तक चुनौती नहीं दी, जिससे वह अंतिम हो चुका है। अपीलार्थी द्वारा आवंटन निरस्त करने की शिकायत की है। गुरबचनसिंह द्वारा तथ्य को छुपाकर विवादित आराजी का आवंटन करवाया गया हो ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा रेस्पोडेंट की अपील स्वीकार कर जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 16–7–02 एवं उपखंड अधिकारी अनूपगढ का आदेश दिनांक 5–8–02 को निरस्त करने में विधि अथवा तथ्य सम्बंधी किसी प्रकार की तात्विक त्रुटि कारित होना प्रकट नहीं है। अतः हस्तगत् दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य है। 7. परिणामतः हस्तगत् दोनों अपीलें एतदद्वारा खारिज की जाती है तथा अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 14–09–06 की पुष्टि की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति अलग अलग पत्रावली में संलग्न की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	

अपील / एलआर / 2420 / 2019 / श्रीगंगानगर
अपील / एलआर / 8551 / 2006 / श्रीगंगानगर
श्रीमती छिन्दकौर बनाम सरबजीतसिंह